रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266075
CG-DL-E-11092025-266075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947
No. 572] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 616(अ).— केंद्रीय सरकार, बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बॉयलर दुर्घटना जांच नियम, 2021 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बॉयलर दुर्घटना जांच नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा –** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) "अधिनियम" से बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) अभिप्रेत है;

   (ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय बॉयलर बोर्ड अभिप्रेत है;

   (ग) "मुख्य निरीक्षक" से अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(घ) "तकनीकी सलाहकार" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त किये गये है और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिया गया है।

3. **दुर्घटनाओं की जांच-** अधिनियम की धारा 23 के अधीन बॉयलर या बॉयलर घटक की दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस संबंधित राज्य में प्रारंभिक जांच की जाएगी जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई है।

4. **दुर्घटनाएं जिसके परिणामस्वरूप कोई मृत्यु हो जाए-** संबंधित राज्य का मुख्य निरीक्षक, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना के कारण कोई मृत्यु हुई हो, प्रारंभिक जांच के आधार पर, बिना किसी विलंब के प्ररूप 'क' में तकनीकी सलाहकार को रिपोर्ट भेजेगा।

5. **दुर्घटना के परिणामस्वरूप कोई मृत्यु होने पर जांच-** (1) नियम 3 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां दुर्घटना के कारण कोई मृत्यु हुई हो, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा भी जांच की जाएगी।

6. **जांच समिति का गठन-** (1) किसी जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात:-

(i) तकनीकी सलाहकार - अध्यक्ष;

(ii) बॉयलर का मुख्य निरीक्षक या निदेशक - सदस्य;

(iii) बॉयलर और बॉयलर घटक विनिर्माता या बॉयलर के उपयोगकर्ता का प्रतिनिधि या बोर्ड का कोई अन्य सदस्य - सदस्य

(2) केंद्रीय सरकार किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी,जिसका दुर्घटना से हितों का कोई टकराव न हो और यदि उसकी उपस्थिति जांच करने में उपयोगी हो तो,जांच समिति में शामिल कर सकती है।

(3) संबंधित राज्य के मुख्य निरीक्षक से किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर जांच समिति का गठन किया जाएगा और मुख्य निरीक्षक से दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर जांच की जाएगी।

7. **जांच के दौरान प्रक्रिया: -** (1) जांच समिति क्षतिग्रस्त भागों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करेगी और रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ ऐसे माप या रेखाचित्र तथा ऐसे फोटो ले सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) जांच समिति दुर्घटना की परिस्थितियों, उसकी प्रकृति और विस्तार, व्यक्तियों की मृत्यु और चोट के कारण तथा संपत्ति को हुए नुकसान की जांच करेगी और जांच रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के पश्चात, जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तकनीकी सलाहकार द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य निरीक्षक को जांच रिपोर्ट अग्रेषित की जाएगी।

8. **दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु होने के पश्चात बॉयलर का उपयोग-** (1) जांच पूरी होने तक बॉयलर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) जांच पूरी होने के पश्चात, संबंधित राज्य का मुख्य निरीक्षक यह विनिश्चय करेगा कि क्या बॉयलर को बिना मरम्मत के या किसी ऐसी मरम्मत या परिवर्तन, जिसका वह आदेश दें, के पूरा होने तक उसी या कम दबाव पर उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

प्ररूप क

(नियम 4 देखें)

बॉयलर संख्या ……………….. की दुर्घटना की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट

सेवा में,

तकनीकी सलाहकार (बॉयलर)
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार

महोदय/महोदया,

हमने बॉयलर संख्या ……………….. की दुर्घटना की प्रारंभिक जांच कर ली है और अब निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत है।

1.दुर्घटना की तारीख और स्थान

2. जांच की तारीख

3. स्वामी का नाम और पता

4. मारे गये या घायल व्यक्ति

5. बॉयलर (बॉयलरों) का विवरण

(i) बॉयलर निर्माता(निर्माताओं) का नाम:

(ii) बॉयलर का प्रकार:

(iii) बॉयलर(बॉयलरों) की भाप उत्पादन क्षमता:

(iv) कार्यशील दाब:

(v) तापन सतह क्षेत्र:

(vi) प्रयुक्त ईंधन:

(vii) बॉयलर(बॉयलरों) की आयु:

6. अन्य बॉयलरों के सापेक्ष, बॉयलर(बॉयलरों) की सामान्य स्थिति, उसका स्थान और उद्देश्य जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है।

7. पिछली मरम्मत की तारीख सहितविवरण

8. …………………. द्वारा तारीख…………………. को बॉयलर का अंतिम बार निरीक्षण किया गया था।

9. दुर्घटना की प्रकृति

10. दुर्घटना का कारण

11. सामान्य टिप्पणियां

''मुख्य निरीक्षक बॉयलर''

[फा. सं. पी-30015/6/2025-बॉयलर]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2025

G.S.R. 616(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (g) of sub-section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025) and in supersession of the Boiler Accident Inquiry Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Boiler Accident Inquiry Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);

(b) "Board' means Central Boilers Board constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chief Inspector" means a person appointed to be a Chief Inspector under the Act; and

(d) "Technical Adviser" means the Technical Adviser appointed under sub-section (1) of section 4 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Inquiry of accidents**. – On receipt of a report of an accident to a boiler or boiler component under section 23 of the Act, a preliminary inquiry shall be conducted in the concerned State in whose jurisdiction the accident has occurred.

4. **Accidents resulting in any death**. – The Chief Inspector of the concerned State in whose jurisdiction any death has resulted due to an accident, based on a preliminary inquiry, shall forward a report without delay to the Technical Adviser in Form A.

5. **Inquiry of accidents resulting in any death**. – (1) Without prejudice to rule 3, where any death has resulted due to an accident, an inquiry shall also be conducted by the Central Government.

6. **Constitution of inquiry committee. – (**1) The inquiry shall be conducted by an inquiry committee consisting of the following, namely:-

(i) Technical Adviser –Chairperson;

(ii) a Chief Inspector or Director of Boiler –Member;

(iii) a representative of Boiler and boiler component manufacturer or user of boilers or any other member in the Board –Member.

(2) The Central Government may also co-opt any other person, who does not have any conflict of interest with the accident, in the inquiry committee if his or her presence is considered useful in conducting the inquiry.

(3) The inquiry committee shall be constituted within fifteen days of receipt of report of accident resulting in any death from the Chief Inspector of the concerned state and inquiry shall be conducted within forty-five days of receipt of report of accident from the Chief Inspector.

7. **Procedure during inquiry**. – (1) The inquiry committee shall make a careful examination of the damaged parts and shall take such measurements or sketches and may take such photographs for the purpose of report as they may deem necessary.

(2) The inquiry committee shall inquire into the circumstances of the accident, its nature and extent, the cause of death and injury to persons and the damage to property and shall submit the inquiry report to the Central Government.

(3) After acceptance of report by the Central Government, the inquiry report shall be forwarded by the Technical Adviser to the Chief Inspector of the concerned state for initiating necessary actions as per the recommendations in the inquiry report.

8. **Use of Boiler after accident resulting in any death**. – (1) The boiler shall not be put to use till the inquiry is completed.

(2) After completion of inquiry, the Chief Inspector of the concerned state shall decide whether the use of boiler can be permitted at the same or at a lower pressure without repairs or pending the completion of any repairs or alterations that he may order.

FORM A

(See rule 4)

Report of the preliminary inquiry of the accident to Boiler No………………..

To

Technical Adviser (Boiler)
Department for Promotion of Industry and Internal Trade,
Ministry of Commerce and Industry,
Government of India

Sir/Madam,

We have held a preliminary inquiry into the accident to Boiler No……………………. and now make the following reports.

1. Date and Place of accident.
2. Date of inquiry.
3. Name and address of owner.
4. Person(s) killed or injured.

5. Details of boiler(s).

(i) Name of Boiler maker(s):
(ii) Boiler(s) type:
(iii) Steam generation capacity of boiler(s):
(iv) Working pressure:
(v) Heating surface Area:
(vi) Fuel used:
(vii) Age of boiler(s):

6. General condition of the boiler(s), its location with respect to other boilers and the purpose for which it is used.

7. Particulars of previous repairs with dates.

8. The boiler was last inspected on ………………….by…………………………

9. Nature of accident.
10. Cause of accident.
11. General remarks.

Chief Inspector of Boilers.”

[F. No. P-30015/6/2025-Boiler]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.11 16:17:47 +05'30'